के जो रिपोर्टर वाशिंगटन में हैं उन्होंने लिखा है कि --

"India will be especially interested in the terms in view of the troubles over Tarapur which is under a separate bilateral agreement."

इस आधार पर यदि हम इस समस्या पर विचार करें तो हमें पता चलेगा, कि ये बातें ऐसी हैं जिन पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा। चीन और अमेरिका के संबंध जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से साम्राज्यवादी देश इस भूखण्ड में पाकिस्तान को हथियारों से लैस कर रहे हैं उससे बड़ी चिंता पैदा हो जाती है। चीन और पाकिस्तान अपने हथियारों में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे विदेश मंत्री जो यहां पर नहीं हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से उन से कहना चाहता हूं कि जब वे चीन जा रहे है तो उन्हें इन बातों को अवश्य मद्देनजर रखना चाहिए।

THE CONSTITUTION (AUTHORISED TRANSLATIONS) BILL, 1978

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"संविधान के प्राधिकृत अनुवादों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जायें।"

महोदय, हम सभी जानते हैं कि भारत में प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली की सरकार है। चूंकि प्रजातंत्र में सरकार जनता द्वारा, जनता के हितों के लिए और जनता की ही होती है इसलिए जनता और सरकार के बीच किसी किस्म की दीवार नहीं रहनी चाहिए और शासन का सारा काम जनता की भाषा में ही किया जाना चाहिए। इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ दिन पहले हमारे प्रधान मंत्री, आदरणीय श्री मोरारजी देसाई, ने कहा था 'जब तक इस देश का कामकाज अपनी भाषा में नहीं चलेगा तब तक हम यह नहीं कह सकते कि देश में स्वराज्य है।' विदेशी भाषा किसी भी राष्ट्र के पुनरुत्थान तथा विकास के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। हमें विभिन्न क्षेत्रों में, कम से कम समय में, एक बड़े पैमाने पर विकास का काम करना है, साथ ही, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के लिए, जनता का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त करना है, यह सब केवल देश की अपनी भाषाओं के माध्यम से ही हो सकता है, इसलिए प्रशासन आदि क्षेत्रों में भारतीय भाषाएं अंग्रेजी की जगह ले रही हैं और अनेक राज्यों में वहां की भाषाओं में काम हो रहा है। देश की भाषाओं का प्रशासन के काम में प्रयोग होने से प्रशासन और जनता के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित हो रहा है। फिर भी इतना जरूर मानना होगा कि इस बारे में प्रगति एक जैसी नहीं है।

जनता को न्याय सुलभ कराने के लिए और न्याय की प्रक्रिया सहज और बोधगम्य बनाने के लिए, न्यायालयों में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाने मे हिन्दी और विभिन्न राज्यों में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अन्य भाषाओं में, संविधान और केन्द्रीय अधिनियमों के प्राकृतिक अनुवाद की काफी कमी महसूस की जा रही थी और हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रामाणिक संविधान उपलब्ध कराने के प्रश्न पर कई वर्षों से विचार किया जा रहा था। इस कमी को पूरा करने के लिए वर्तमान विधेयक संसद के समक्ष रखा गया है। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार करे और इसे पारित करे।

The question was proposed

श्री सवाई सिंह सिसौदिया (मध्य प्रदेश): मान्यवर, सन् 1950 में संविधान सभा के द्वारा हमारा कांस्टिट्यूशन स्वीकार किया गया और उसका हिन्दी अनुवाद भी तत्कालीन सभा द्वारा उसके अध्यक्ष की देख-रेख में तैयार किया गया ।

[Mr. Deputy Chairman in the Chair].

उस 1950 के संविधान का जो हिन्दी अनुवाद था तब तक वह अधिकृत अनुवाद नही माना जा सकता था जब तक कि उसको संवैधानिक स्वरूप और उसकी वैधानिक मान्यता देने के लिए कोई व्यवस्था न की जाये और मेरा ऐसा ख्याल है कि उस काम को पूरा करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । यद्यपि बहुत देर से इस प्रकार का विधेयक सदन में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है लेकिन फिर भी यदि अच्छा काम देर से हो तो उसकी अच्छाई खत्म नहीं होती । मैं मान्यवर, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक के अलावा पूर्व में भी दो विधान स्वीकार हो चुके हैं संसद् से । एक है हिन्दी आफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 और दूसरा है आथराइज्ड ट्रांसलेशन आफ सेन्ट्रल लाज ऐक्ट 1973 । इन दोनों विधानों के द्वारा जो केन्द्रीय कानून बनते हैं या उससे संबंधित जो रूल्स, बाइलाज जारी किये जाते हैं उन सब का जो अनुवाद है उसको अधिकृत अनुवाद कोड स्वरूप देने की व्यवस्था इन दोनों कानूनों के अन्तर्गत है । धारा 351 जो हमारे कांस्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसमे यह निर्देश दिया गया है कि हिन्दी भाषा के विकास के लिये शीघ्र कार्यवाही की जाये । इन दोनों कानूनों के पास कराने के बाद भी इसकी हमारे संविधान के इस आर्टिकल 351 के अनुसार ही आवश्यकता हुई । उसमें यह भी विशेश निर्देश दिया गया है कि हिन्दी भाषा के शब्द भंडार के लिये मुख्यतया संस्कृत का उपयोग किया जाये और उससे उसकी समृद्धि में सुनिश्चित व्यवस्था की जाये । मेरा यह निवेदन है कि यह जो पुराना विधान है आथाराइज्ड ट्रांसलेशन आफ सेन्ट्रल लाज ऐक्ट 1973 उसको यदि माननीय मंत्री जो गौर से देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि वे मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस विधान की मौजूदगी में अलग से किसी कांस्टीट्यूशन के अधिकृत अनुवाद की व्यवस्था के बारे में कोई विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी । यह आथोराइज्ड ट्रांसलेशन सेंट्रल लाज तमाम जो केन्द्रीय कानून हैं उन पर लागू होता है । इसलिए केवल एक अमेंडमेंट करने की आवश्यकता थी कि सेन्ट्रल लाज के साथ साथ कांस्टीट्यूशन का भी जो अनुवाद होगा वह आथोराइज्ड माना जाएगा । यह कैसे आथोराइज्ड माना जाएगा उसकी व्यवस्था के बारे में संशोधन करना ही काफी था । यह केवल रेपीटीशन है । मैंने इस को बहुत गौर से देखा है, यह जो पुराने विधान है आथाराइज्ड ट्रांसलेशन सेन्ट्रल लाज और जो लाया गया है कांस्टीट्यूशन अथाराइज्ड ट्रांसलेशन विल, 1978 बिलकुल अक्षरश: हैं । दोनों विधानों में इतना जरूरी है कि इसमें केवल सेन्ट्रल लाज हैं वहां पर उसकी जगह एक कांस्टीट्यूशन शब्द बढ़ाया गया है । इसलिए दूसरा कोई अन्तर किसी किस्म का नहीं है । मेरा यह ख्याल है कि इतना बड़ा विधि विभाग आपके पास है, आपका विभाग भी काफी विस्तृत है, उसके बाद भी आपको यह सलाह क्यों नही दी गई कि बजाय इसके कि आप नया कानून लाएं कास्टीट्यूशन शब्द सेंट्रल लाज के साथ बढ़ा देना काफी था । यह केवल उसकी प्रतिलिपि है । शुरू से अन्त तक सेंट्रल लाज की जगह कांस्टीट्यूशन शब्द बढ़ाया गया है । मैं फिर से आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी यह कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी परम्परा नहीं है । अगर एक विधान में एक शब्द बढ़ा कर के आपकी जो आवश्यकत है उसकी पूर्ति हो जाती है तो नया विधेयक लाने की

क्या आवश्यकता थी। इसके बारे में आप विचार करें। अब मैं दो चार बातें माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। उनको इस बात की पूरी जानकारी है कि हमारे देश में 30 फीसदी लोग पढ़े लिखे हैं। इन 30 फीसदी पढ़े लिखे लोगों में दो फीसदी लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी समझते हैं। यह जो हमारा कांस्टीट्यूशन तैयार हुआ, स्वीकृत हुआ, अंग्रेजों के समय में जो पुराने कानून थे इंडिया इंडीपेंडेंस ऐक्ट, 1947, गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 इनकी बहुत सी धाराओं के आधार पर हमारा संविधान तैयार किया गया है। हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह इन्हीं विधानों के ऊपर आधारित है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी परिस्थितियों की दास्ता ही समझी जानी चाहिए कि उस समय हमारे इतने बड़े देश में जैसे कि मैंने निवेदन किया कि केवल 2 फीसदी लोग अंग्रेजी जानते हैं। हमारा जो मूलतः संविधान तैयार किया गया वह अंग्रेजी में तैयार किया गया। अब उसका हिन्दी मे अनुवाद हो और हिन्दी के अनुवाद को अधिकृत मान्यता देने के लिए अब यह व्यवस्था सदन के सामने आई है तो यह कोई बहुत स्वाभिमान की बात नहीं है, बहुत बड़े गौरव की बात नहीं है, हमारे देश की इज्जत बढ़ाने वाली बात नहीं है। खैर उस जमाने मे हो सकता था, हमारे सामने भी परिस्थितियां थी, पुराने विधान अंग्रेजों के जमाने से जिस प्रकार से आ रहे थे उस के आधार पर संविधान बना, उस समय ऐसी व्यवस्था करना शायद सम्भव नही हो सकता था। लेकिन अब कम से कम मुख्य तौर पर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आज भी यही व्यवस्था है। हमारे जो कानून बनते है पहले अंग्रेजी मे तैयार होते हैं, फिर उनके ट्रांस्लेशन को मान्यता देने के लिए व्यवस्था लागू करने के लिए विधेयक प्रस्तुत होते हैं। इस व्यवस्था को जो आज चली आ रही है संविधान के पास होने के बाद में कम से कम इस बात की शुरुआत होनी चाहिए कि मूल तौर पर विधेयक, आर्डिनेस जो इशु होते है वे हिन्दी में तैयार होने चाहिए और उसके बाद उनका अनुवाद अंग्रेजी में होना चाहिए। यदि उस अंग्रेजी अनुवाद को मान्यता देने की बात आए तो यह स्वागत की बात हो सकती है। लेकिन ऐसे मुल्क में जहां कि केवल 2 फीसदी लोग अंग्रेजी जानते है इन सारी परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए भी पुरानी व्यवस्था को चालू रखना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। एक तरफ तो हम यह मांग करते है कि यू० एन० ओ० में हिन्दी जो है इसको अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की मान्यता दी जाये। इसको यू० एन० ओ० मे मान्यता मिलनी चाहिए। दुनिया मे 31 ऐसे मुल्क है जहां कि बहुत से लोग हिन्दी जानते हैं और हिन्दी भाषा का उपयोग करते है और हम यह भी महसूस करते है कि विदेशों के जितने भी प्रतिनिधि मंडल यहां आते है वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं, यद्यपि वे अंग्रेजी जानते है और अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते है, समझ सकते है लेकिन फिर भी यहां बातचीत में, आपस मे जो चर्चाए होती है उसमें अपने राष्ट्र की भाषा का उपयोग करते हैं, जितनी भी सोशलिस्ट कन्ट्रीज है या और मुल्क हैं जिनके लोग यहा आते है वे अपनी ही भाषा का उपयोग करते है। हमारी जानकारी के लिए उसका इंग्लिश में अनुवाद होता है परन्तु हम लोग जब बाहर जाते हैं तो इंग्लिश में बात करते है, हमारी बात का अनुवाद कई मुल्कों मे हिन्दी में किया जाता है।

मेरा यह भी कहना है कि यह राष्ट्रीय गौरव के विपरीत है। इन सब परम्पराओं को आज की स्थिति मे बदलना चाहिए। मैं यह भी सुझाव दूगा कि हिन्दी भाषा का मतलब यह नहीं है कि जिस प्रकार कि इन विधानों का, विधेयकों का अनुवाद होता है, यह इतनी क्लिष्ट हिन्दी मे होता है कि उसको आम तौर पर लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा ऐसा ख्याल है, कि उसका विरोध होता है कभी-कभी हमारे सामने भी जब किसी विधेयक का या विधान का अनुवाद हिन्दी मे आता है तो उसको समझने मे बड़ी मुश्किल होती है और इच्छा

[श्री सवाई सिंह सिसोदिया]

होती है कि उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मूल विधान है, लिखा हुआ वह किसी प्रकार मिल सके जिससे कि बात बिल्कुल और जल्दी समझ में आ सके। हमारे कांस्टीट्यूशन में यद्यपि लिखा हुआ है कि जो बोकेबुलेरी है वह संस्कृत से ली जानी चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि यदि इसके बारे में आवश्यकता हो तो कास्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहिए कि बोलचाल की भाषा का भी उपयोग करना चाहिए इस प्रकार के ट्रांसलेशन में। ऐसे शब्द जिनको समझने के लिए डिक्शनरी की जरूरत हो तो यह बात अच्छी नहीं है और यही कारण हो सकता है कि दक्षिण में रहने वाले या दूसरे हिस्सों में रहने वाले भाई इस प्रकार की हिन्दी का विरोध करते है। हिन्दी चालू होनी चाहिए जिसको आम लोग समझ सकें। हिन्दी का हाजमा इस प्रकार का होना चाहिए कि वह दूसरी भाषाओं के शब्दों को पचा सके यह गलत बात नहीं है। अंग्रेजी के शब्दों, पर्शियन के मराठी के या और किसी बोली जाने वाली भाषा के जिनका कि संविधान के आठवें शिड्यूल में उल्लेख किया गया है, उन भाषाओं के शब्दों का समावेश करते हुए जो बोलचाल कि हिन्दुस्तान की भाषा है, उस भाषा में हमारे कानून या रूल अथवा आर्डिनेन्स या विधान तैयार किये जाने चाहिएं। माननीय मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी के किसी भाषण का उल्लेख किया है लेकिन उसकी मन्शा को समझने की तकलीफ नहीं की है उन्होंने यह कब कहा या किसी ने कब कहा कि ऐसी भाषा में ट्रांसलेशन करिये कि दूसरा आदमी समझ ही न सकता हो। तो उन भाषाओं का उल्लेख करते हुए आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं। आप इस प्रकार की भाषाओं में अनुवाद कराने की व्यवस्था कीजिए कि जिसको आम तौर पर सब लोग समझ सकें। आपका यही उद्देश्य है कि दो फीसदी अंग्रेजी जानने वाले लोगों को छोड़कर इस मुल्क में रहने वाले लोग जिनमें 30 प्रतिशत पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान है, पढ़ लिख सकते हैं वे लोग समझ सकें कि कानून की यह व्यवस्था सारे मुल्क के लिए बनती है। इसलिए ऐसी भाषाओं में ये तैयार किये जाने चाहिएं जिससे कि आमतौर पर उसको लोग समझें। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार की भाषाओं में अनुवाद कराने की व्यवस्था करें कि तमाम लोग उनको समझ सकें इसके लिए अगर संविधान के आर्टीकिल 351 से आपको इस काम में कोई कठिनाई पैदा हो तो उसमें भी संशोधन करने की बात आप सोच सकते हैं। लेकिन इस बात को हमें हमेशा सामने रखना चाहिए कि हिन्दी और हमारे राष्ट्र की अन्य जो दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन क्षेत्रीय भाषाओं मे और हिन्दी में जो अंग्रेजी कानून का अनुवाद हो तो वह आम तौर पर लोगों की समझ में आने वाली भाषा में तैयार किया जाना चाहिए और आपने जैसा कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों तक वह पहुंच सके और वे समझ सकें। आप उनको यह जानकारी दे सकें कि यह कानून किस उद्देश्य से बनाया गया है। अतः जानकारी देने के लिए मुख्य तौर पर आपको इस बात को सामने रखना चाहिए। इस पर बोलते हुए मुझे एक बात का भी स्मरण हो रहा है कि हमेशा हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिये हम लोग चर्चा करते हैं, हमारे संविधान में भी उसकी व्यवस्था है, बहुत सी समितियां भी इसके लिये बनी हैं जो इसका ध्यान भी कर रही है कि कितना प्रचार हुआ है। लोगों को हिन्दी सिखाने के लिये, समझाने के लिये कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन इस बात को खास तौर पर नजरन्दाज किया जाता है कि हिन्दी भाषा में जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार का अनुवाद होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। यहां तक देखिये कि तुलसी दास जी ने जो भजन लिखे हैं उसमें भी कम से कम सौ शब्दों का जो फारसी और उर्दू के है उनका प्रयोग किया गया है। इसलिये आज तुलसी दास जी, इस जमाने में भी, चाहे उनका कार्यकाल बहुत

वर्षों पहले था, फिर भी आज भी लोगों के मन में उनके भजनों का स्मरण है और उनके भजनों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसी भाषा मे विचार रखे, ऐसा शब्दिक रूप दिया कि आम लोग समझ सकें ।

इसलिय माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस विधेयक का हम समर्थन करते हैं, लेकिन उन सुझावों के साथ कि अनुवाद करने की व्यवस्था जब आप आधारित करें, उसकी मूर्तरूप दें, तो आपके सामने पूरे देश का चित्र होना चाहिये, लोगों की कठिनाइयों का ख्याल रखना चाहिये और ऐसी भाषा में उसका अनुवाद होना चाहिय जिससे कि आम जनता उसको समझ सके और हमारे देश के संविधान और दूसरे कानून और दूसरे उससे सम्बन्धित रूल्स और आर्डिनेन्स जितनी व्यवस्था जारी होती है केन्द्र से, अपने हित में उनका किस प्रकार का प्रयोग हो सकता है इसकी जानकारी हमें ठीक प्रकार से दे सकें, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री बालेश्वर दयाल (मध्य प्रदेश) : माननीय मित्र ने जो कुछ अभी कहा, मैं उससे सहमत हूं । यह जो भाषान्तर होता है यह इतने क्लिष्ट शब्दों का होता है कि उसके लिये भी डिक्शनरी देखनी पड़ती है । जैसा उन्होंने तुलसी दास का उदाहरण दिया । उन्होंने तो अपनी सारी जाति का बहिष्कार स्वीकार किया । जब जाति वालों ने कहा कि देववाणी से तुम लोकवाणी में आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि लोकवाणी देव वाणी से ज्यादा श्रेष्ठ है । वे जाति से बहिष्कृत भी हुए । लेकिन उन्होंने रामायण का अनुवाद ऐसी भाषा में किया जिसको जनता समझती थी । इतना ही नहीं, श्रीमन यहां मैं एक घटना का उल्लेख करूंगा कि एक बार बम्बई से तार मिला था कि बैठक सचिवालय में होगी । मैं जब स्टशन पर उतरा, गाडी वालों से कहा सचिवालय ले चलो, तो गाड़ी वाले ने कहा आप बैठ जाइय, जहां चाहें वहां पर उतार देंगे । हमने कहा कि तुम सचिवालय नहीं जानते हो । उसने कहा कि मैं नहीं जानता, आप जानते होंगे । आप जहां कहें, वहां उतार दूगा । मैंने कहा कि तुम इतने दिनों से यहां रहते हो और सैक्रटेरिएट नहीं जानते हो । गाड़ी वाला तुरन्त बोला आप हिन्दी में बोलिए, सचिवालय क्यों कहते हैं । चलिए बैठिए, आपको सैक्रेटेरिएट ले चलता हूं ।

मान्यवर, लोक भाषा जो शब्दों को पचा लेती है वह हिन्दी है । अब हिन्दी को यदि संस्कृत से सीधा रूपान्तर करना पड़ता है, तो वह हिन्दी का स्वयं दुश्मन है । सचमुच हिन्दी बहुत क्लिष्ट कर दी गई है । यदि आप हमारे प्रान्त या हिन्दी वाले प्रान्त में जाएं तो पुलिस थाना जो सैंकड़ों वर्षों से लोगों की जवान पर आ गया है, वहां लिखा हुआ है आदर्श आरक्षी गृह । शायद यह सौ वर्ष मे भी जनता तक नही पहुंच पायेगा, लोक भाषा का शब्द नहीं पड़ता । आदर्श आरक्षी गृह और लोग समझते हैं कि एक आरक्षी गृह यह है और एक स्टेशन पर है आरक्षण गृह, यानि रिजरवेशन कक्ष । मालूम नही, संस्कृत से यह शब्द आया है । मैं यह कहना चाहता था कि जो हिन्दी के समर्थक हैं, वही हिन्दी के दुश्मन बन रहे हैं जब वे बहुत क्लिष्ट शब्द उसमें लाते हैं । इसलिय मैं माननीय मंत्री का समर्थन करूंगा कि जब कभी ट्रान्सलेशन हो यह मान कर के चले कि हिन्दी सारे हिन्दुस्तान की, सारे हिन्दुस्तान की सम्पर्क भाषा है और उसका मतलब यही होना चाहिये कि हिन्दुस्तान के जितने प्रान्तों से जो सरल शब्द जनता को मालूम पडें, उन शब्दों को ट्रान्सलेशन में डाले, लेना चाहिये । यही ट्रान्सलेशन का अर्थ होना चाहिये और यही उपयुक्त है इन्हीं शब्दो के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

SHRI JAGJIT SINGH ANAND (Punjab): Mr. Deputy Chairman, I am in agreement with the basic idea underlying this Bill. I am also in agreement with one point which has been made by both my colleagues

[Shri Jagjit Singh Anand]

who have preceded me, namely, the language. All these who sought to promote Hindi in fact created impediments in the way of Hindi by trying to import direct Sanskrit into the Hindi vocabulary. Sanskrit is the mother language whom we hold in great respect. It is the fountain of our culture and the past. But language itself is a medium of communication between one person and another. As times change development of society also takes place. New notions and new concepts come in and common people through their own experience import words from other languages in a manner that they are understood better. One criterion of any language should be that it is understood by the maximum number of people. Unfortunately we departed from what we inherited from our freedom struggle. When we were fighting the British, Mahatma Gandhi advocated Hindustani, meaning thereby a combination of Hindi and Urdu so that it would be understood by most of the people. We attained freedom after that Dr. Keskar was the Minister in charge of All India Radio. He introduced such a Hindi that even Pandit Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister, had to publicly condemn it. He complained that he could not understand the Hindi of the All India Radio. Pandit Jawaharlal Nehru himself used to address mass meetings and there he used sometimes two expressions at the same time—with Sanskrit derivative and the other with Persian derivative—in order to be understood. The entire purpose of language is that it should be understood by the maximum number of people. But I am very sorry to observe that some fanatics who were the ardent supporters of Hindi have been the biggest enemies of that language with the result that whenever some effort is made to promote Hindi, it is met with great opposition.

I belong to Punjab. Punjabi is our language. It is not only the language of the present day Punjab, but it also the language of greater part of the present day Pakistan. It is not only a language which is understood in Punjab, but much beyond also. But because of efforts to impose Hindi not only as a language, but to super-impose Hindi on Punjabis, a controversy came into existence over long years. The reason is misnomer. Some people often say that Hindi is the national language according to the Constitution. Keeping the interests of the country in mind, I say that India is a multilingual and multi-national country and all the languages that are included in the Eighth Schedue are equally *our national languages. These languages* should enjoy equal status within the Parliament, Judiciary, and elsewhere also. I would say that Nepalese should also be included in the Eighth Schedule among the national languages because several people speak this language. Culturally and otherwise they have contributed a lot to our country. They are not going back to Nepal.

Coming back to the subject, the entire difficulty arises when some people want special status for Hindi. The Constitution wants special status for Hindi so that it becomes the language for inter-State communication because it was felt that we should not continue English language which we had inherited from the British. But if Hindi has to become the language for inter-State communication in any foreseeable future and it has to replace English, then Hindi should be as simple as possible. When the Constitution of India was framed, Hindi was accepted as national language by only one vote-the vote of revered and departed Gurmukh Singh Musafir Otherwise, Hindustani which we had inherited from the freedom struggle would have been accepted and not Hindi. I would say that I am for Hindi. But I do say that if Hindi is to become a language for inter-State communication in the forseeable future, as my hon. friend has very correctly said, Hindi should be more simplified.

Today, Hindi has become a controversial factor and a dividing factor. I am only saying that because even in my State, there is the Hindi-Punjabi controversy as the Pakistan and non-Pakistan controversy used to be in the olden days and Hindi has become controversial now. Why? I will give you certain examples. Now, for the word "rail" you say, "लौह पथ गामिनी" Everybody understands the word "rel gadi".

DR. BHAI MAHAVIR (Madhya Pradesh): Nobody says so.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: It was advocated for long.

DR. BHAI MAHAVIR: Just for the sake of argument, I do not think you should say these things. (*Interruptions*).

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: It was attempted by many people and it was advocated by the people who were asked to prepare officially the Hindi dictionary and they were people of your persuasion and they introduced this. Then...

DR. BHAI MAHAVIR: You are spoiling your own arguments by these strange arguments.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: I would be very glad if you all accept that this imposition of the Sanskritised Hindi should not be there. But it is highly Sanskritised. You have unvarnished Hindustani words and Hindi words in the English language like 'jungle', 'kutcha' 'pucca' and so on and such unvarnished words were given the go-by. But what is the uniting factor? One of the uniting factors is the Hindustani films which are mistakenly called Hindi films which is a misnomer. They have united the entire country except for the deep South. But in Bangalore and Mysore they understand the language, Hindi, because the attempt of the film producers is to get the maximum audience. Ever since we became free. I made a reference to Dr. Keskar in this connection and the All India Radio Hindi—this tendency has continued and this tendency has to be fought. This tendency has to be replaced so that the real purpose of a language comes to be understood. I would, Sir, give another example. In Punjabi, there is a word "rangroot" which has come from the word "recruit".

PROF. N. G. RANGA (Andhra Pradesh): What is it?

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: "Rangroot". It has come from the word "recruit" and everybody understands it. In Punjab, even an ordinary person understands it. Now, there is a term here which means "presentation of arms". In Punjabi it is called "farjenti", and everybody in the army understands it. Everybody in the army understands it, but nobody understands the original word. So, what I am saying is that if a language has to serve its original purpose, then, that language should be made simpler and that language should be made more and more understandable, especially in a country like ours. Sir, if my friend, Shri Mahavir is with us in this, I would urge on him to join with us all to make the All India Radio Hindi understandable. It is not understandable today. Even today it is not understandable. If he does this, then I would be with him in this. Now, on one point, Sir, I would differ with Mr. Sisodia. Mr. Sisodia said that all our Acts in the original should be formulated in Hindi. He said, that all the laws should be formulated originally in Hindi. He said, "Mool Hindi men", if I have understood, him correctly, Sir, formerly, French used to be the language for international treaties even for the countries which were not concerned with French. It was a historical development that international treaties were to be in French and it was like this: One copy was to be in French and two copies were to be in

[Shri Jagjit Singh Anand]

the language or languages of the contracting parties. Why? Because of the precision of the language and because of the exactitude of the language, that is, French. Now, Sir, we inherited the English language from the British. We have also inherited certain constitutional concepts from the British so much so that we tried to copy all things from the British, even bad things, and this question arises especially in the case of the British Constitution including our electoral system. Under this system, the single member constituency is there and whoever gets or secures even fifteen or sixteen per cent votes, gets elected. There have been examples where even the people who were to forfeit their deposits have won because they have secured the minimum and maximum among contestants it is because of the present electoral system. What I am saying is that we should not copy all from the British. If there had been proportional representation, then the question of reservation would go. If there had been proportional representation in the country, then the question of casteism would go. If there had been proportional representation in the country, then no political party would go into adjustments or alliances or whatever you may call it and this is done just for the sake of representation in Parliament. So, if the Government departed from these things, then I would be one with them and I would urge upon Dr. Bhai Mahavir to join with us in this. Now, so far as the question of framing of laws is concerned, English is accepted in this House. I can speak some sort of Hindustani and I can speak better Punjabi and my command over both would be better than my command over English. But because I want to be understood by my colleagues from all parts of the country, I have to fall back upon English. Similarly, when it is a question of framing laws, especially constitutional laws. I do not at all agree with the view that we must start with Hindi.

Certain preciseness has to be developed. I am all for a period when scientifically and technically our Hindi would be so developed and all other languages concerning our constitutional and legal matters originally will be understood easily by everybody. But at present, that development has not come. Therefore, I would like that the practice of using English language should be continued till our languages have acquired their preciseness and scientific expression. But a translation should invariably be in as simple a language as possible. This has also to be kept in view. While I am on it, I would say that had the three language formula been implemented, much of the language controversy would have gone.

There is another thing, Sir. It is accepted that in naming a railway station, the regional language should come first, Hindi should come second and English should come third. But it is always violated in practice. Not only that, without any consent from the Member concerned, I have been receiving communications in Hindi from Prof. Dandavate. I write to him also. I can read Hindi only slowly and cannot follow much of the language, which is a difficult Hindi, I would say; English I can read very fast. I do have the patience to look into long communications in Hindi. So the convenience of the people should also be kept in view. The three language formula should also be implemented.

Then, Sir, he has said that Hindi must be in Devnagri script. I do not know why it is written there because Hindi is used in Devnagri script—that is in the Schedule. In that case, then please write that all the various national languages should be used in their accepted scripts. This also shows a sort of anxiety about Hindi to preserve it in a certain form. This, I think, is totally redundant.

Sir, I would welcome various translations of Hindi. It is only a technical point whether you amend an old Act or you introduce a new Act. I am all for a new Act, because it will popularise our Constitution more and more. But what I would urge upon the hon. Minister to see to it that not only Hindi translation but also translations in all the other national languages are produced well in time—I would say, simultaneously, if possible. Translation should not go by default. That should be as simple as possible.

Then, lastly, Sir, I would say that our Constitution is not available at a nominal cost in a presentable form. It is so bulky that you cannot carry it conveniently. In other countries, whenever a Constitution is passed—even a new Constitution—for example in the Soviet Union, only last year, they printed millions of copies of their Constitution; they print it for free distribution, they print it in a very attractive form of a diary that can be easily carried on a person. I would still request the hon. Minister to see to it that our Constitution is printed in English as well as in Hindi and all the other languages. I have already requested that this should be expedited. It should be made available at a nominal price, if not free. It should be made available to the maximum number of people. Especially I would like to urge upon him, Sir, that all the schools and colleges should be provided a minimum number of copies, say a hundred copies, free of cost. We are already considering lowering our voting age limit, and I think the day is not far off when the age limit for voting will be 18 years. And how can one become a good voter without first learning about these things at the age of 16 or 17? Therefore, this should be done.

With these words, Sir, I support the underlying idea of the Bill introduced by the hon. Minister.

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश के कामकाज में हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। यद्यपि हमारे देश के संविधान का ट्रांसलेशन बहुत पहले हो गया था, लेकिन उस अनुवाद को प्राधिकृत करने का बिल आज लाया जा रहा है। अब तक अंग्रेजी भाषा में लिखा गया संविधान ही प्राधिकृत माना जाता रहा है। अब उस स्थिति में परिवर्तन लाया जा रहा है यह बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे राज्य मंत्री जी पिछले 30 वर्षों में प्रशासन से बाहर ही रहे, इसलिए उनका इसमें अधिक दोष नहीं है। हमारे संविधान में कहा गया है कि 15 वर्षों के अन्दर हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक वह काम नहीं हो सका है। अब इस दिशा में एक कदम उठाया जा रहा है, इसलिए हमारे गृह राज्य मंत्री बधाई के पात्र हैं।

अभी हमारे मित्र श्री जगजीत सिंह आनन्द जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिन्दी के सबसे बड़े दुश्मन वे लोग हैं जो हिन्दी की बातें ज्यादा करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हिन्दी के ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं के भी सबसे बड़े विरोधी वे लोग हैं जो हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। इनमें श्री जगजीत सिंह आनन्द जैसे लोग भी हैं जो यहां पर अपनी भाषा पंजाबी में न बोल कर अंग्रेजी में बोलते हैं। हमारे इस सदन में सभी भाषाओं के अनुवाद की व्यवस्था है। अतः श्री आनन्द पंजाबी में बोल सकते हैं। आज हमारे देश में स्थिति यह हो गई है कि केवल अंग्रजी में बोलने वाला आदमी ही विद्वान माना जाता है और जो लोग हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं में बोलते हैं उनको विद्वान नहीं माना जाता है। असल

[श्री नत्थी सिंह]

बात अंग्रेजी बोलने वालों की हीन भावना का द्योतक है। मैं समझता हूं कि श्री जगजीत सिंह आनन्द जैसे लोग ही, जो अपनी भाषा पंजाबी में न बोल कर अंग्रेजी में बोलते हैं, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में बाधा डालते हैं।

हमारे देश मे हिन्दी के प्रयोग मे जिस तरह से धीरे-धीरे काम हो रहा है उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में कांग्रेस सरकार के जमाने में एक आदेश जारी किया गया कि सभी पत्रों पर अधिकारियों द्वारा हिन्दी में हस्ताक्षर किए जाएंगे। उप-सभापति महोदय, आप भी इस स्थिति से अच्छी प्रकार से अवगत हैं। सारी चिट्ठी तो अंग्रेजी भाषा में होगी, लेकिन केवल मात्र हस्ताक्षर हिन्दी में होंगे। यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार से हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार से मैं एक दूसरा भी उदाहरण देना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के साथ-साथ एक हिन्दी सलाहकार समिति बनाई गई है। एक हिन्दी सलाहकार समिति का मैं भी सदस्य हूं। पिछले साल मुझे चिटठी मिली कि आपको जहाजरानी और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है और दूसरे साल फिर चिट्ठी मिली कि आपको इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस हिन्दी सलाहकार समिति की इन सालोंमे कोई मिटिंग नहीं बुलाई गई। ये हिन्दी सलाहकार समितियां इसलिए बनाई गई हैं कि वे मंत्रालय से संबंद्ध कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति को देख सकें। लेकिन जब उनकी मिटिंग ही नही होगी तो वे स्थिति की समीक्षा किस प्रकार से कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की हालत में हम हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं को सरकारी कामकाज में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। श्री आनन्द ने अभी कहा कि वे अंग्रेजी में इसलिए बोल रहे हैं ताकि सारे देश के लोग उनकी बात को समझ सकें। मुझे उनके इस तर्क पर बड़ा अचम्भा हुआ। हमारे देश मे कितने लोग अंग्रेजी समझते हैं। उनकी पैत्रिक भूमि पंजाब में कितने लोग अंग्रेजी भाषा को समझते हैं। रूस में भाषा समस्या का समाधान बहुत अच्छी तरह किया गया है। वहां किसी विदेशी भाषा को लिंक-लैंग्वज नहीं बनाया गया है। वहां उस देश की अनेक भाषाओं को उनका समुचित स्थान दिया गया है। फिर उनका यह कहना कि हम अंग्रेजी इसलिए बोलते हैं कि सारा देश हमें समझ सके। सारे देश में तो बहुत थोड़े से लोग अंग्रेजी समझते हैं। आज अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के जो झगड़े हैं वह नौकरियों के झगड़े हैं या राजनैतिक झगड़े हैं। राजनैतिक लोग जो हैं वह इससे जनता का शोषण करते हैं या नौकरी वाले लोग शोषण करते हैं। यदि इस बात को अलग कर दिया जाय इस देश को अगर कुछ समझाना है तो निश्चित रूप में वह क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ज्यादा समझाया जा सकता है। चाहे वह हिन्दी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलगू हो या कन्नड़ हो। लेकिन अंग्रेजी के नाम पर यह कहना अपने आप को धोखा देना है केवल किसी और को नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस तरीके मे सारे मामले को यदि चलाया गया तो इससे काम नहीं चलेगा। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि अंग्रेजी एक प्रिसाइज भाषा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हिन्दी एक बड़ी प्रिसाइज भाषा नहीं है। हिन्दी में आप जो बोलेंगे उसका वही अर्थ होगा। अंग्रेजी में यह गुण नहीं है। अंग्रेजी में जीजा के लिए भी शब्द है ब्रदर-इन-ला और साले के लिए भी ब्रदर-इन-ला ही है। अंग्रेजी जीजा साले मे कोई फर्क नही बताती है उसको कहते हैं कि बड़ी प्रिसाइज भाषा है। हिन्दी मे हर काम के लिए, हर बात के लिए, हर अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग शब्द है। तो उनका यह कहना समझ म नही आता है। मेरा विचार है कि यह

कहना हमारी गुलामी का परिचायक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कानून का जहां तक सवाल है अगर हम हिन्दी और भारतीय भाषाओं में उसका प्रयोग करेंगे, सही तौर से उसको अधिकृत माना जाएगा तो यें ज्याद प्रिसाइज होंगी और उनमें जो आशय है, जो तात्पर्य हैं उनको ज्यादा अभिव्यक्त कर सकेंगे।

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO (Orissa): Sir, possibly, the hon. Member may very well take an opportunity to decry some other language. But Mr. Jagjit singh Anand was not at that effort.

श्री नत्थी सिंह : आपने कुछ और समझा होगा। मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि उनका . . .

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: You have not followed him

SHRIMATI AMBIKA SONI (Punjab): I am sorry, the hon. Member has said that the Panjabis prefer to in English because हीनता की भावना उनके दिल में मौजूद है। मैं जानना चाहती हूं कि माननीय सदस्य किस तरह से एक या दो सदस्यों को सुनकर यह कह सकते हैं पंजाबियों मे हीनता की भावना है जो अंग्रेजी बोलना पसन्द करते हैं।

श्री नत्थी सिंह : आप मेरी बात गलत समझ रही हैं।

श्रीमती अम्बिका सोनी : जो लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं उनके अन्दर हीनता की भावना है क्या ?

श्री नत्थी सिंह : अंग्रेजी बोलने में वह ज्यादा सुपीरियर समझते हैं। यदि वह अपनी बात को ज्यादा असर से पंजाबी में बोलते तो ज्यादा उच्च भावना होती। हीनता की भावना इसलिए है कि वह अपनी भाषा को छोड़कर अंग्रजी बोलना पसन्द करते हैं। अपने यह जो अंग्रेजीदां लोग हैं अपनी भाषा में बोलने में ये हीनता अनुभव करते हैं। अपनी भाषा में नहीं बोलते हैं इसलिए हीनता की भावना है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो आज स्थित है उसके सम्बन्ध में हमारे सिसोदिया जी ने जो कहा है और बालेश्वर दयाल जी ने जो कहा उसका मैं भी समर्थक हूं कि यह बात नही चल सकती कि हिन्दी में संस्कृत न हो। दक्षिण में जहां भी आप जायेंगे तो आप पायेंगे कि वहां संस्कृत लोग ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन जब तक आप बोल चाल की भाषा के शब्दों से अपनी शब्द कोष को सम्पन्न नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। हमारे इस सदन में एक भूतपूर्व माननीय सदस्य जो इस समय यहां पर नही हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं मुल्ला साहब एक बार वह जोधपुर आए, उच्च न्यायालय में किसी फौजदारी केस के सिलसिले में। हम कितने ही लोग बैठे हुए थे। जो लोग हिन्दी की बात बहुत ज्यादा करते हैं उनसे उन्होंने सवाल किया कि एक शब्द का मतलब मुझे बता दीजिए। यह शब्द मुझे उस समय मिला जब मैं राजस्थान के उच्च न्यायालय में वहां पर एक फाइल का मुआइना कर रहा था। उस फाइल का मुआइना करते करते यह शब्द आया जिसको मै समझ नही पाया। शायद आप लोग समझते होंगे कि भारसाधक का अर्थ क्या है। हम लोगों में से किसी ने ट्रक समझा। किसी ने कुछ और समझा। लेकिन उन्होंने अन्त में बताया कि भारसाधक का उस फाइल में मतलब था थानेदार। भारसाधक का अर्थ थानेदार है और हम ट्रक बैलगाड़ी या ट्रैक्टर समझते रहे। तो इस तरह से जो गलत तरीके से शब्द बनाए जाते हैं यह नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम प्रभारी कहते हैं मेरे कहने का अर्थ यह है कि रेल का रेल ही हो न कि लौह पथ गामिनी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह जो शब्द हमारी बातचीत में, बोल चाल में आते

[श्री नत्थी सिंह]

रहते हैं, जिनको हम ग्रहण कर चुके हैं उनको शामिल करके निश्चित रूप से हमारी भाषा गतिशील बनेगी और वह जन भावनाओं को ज्यादा अभिव्यक्ति दे सकेगी।

1 P.M. इसलिए आपने जो शरूआत की है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि अगर आप गति नहीं ला पाए तो कोई लाभ नही होगा। माननीय मंत्री जी जवाब देते वक्त बतायें कि हिन्दी को, देशी भाषाओं को अंग्रेजी हटा कर कब प्रतिष्ठित करेंगे। सबसे, बडी बात यह है कि अंग्रेजी आज हम पर छाई हुई है, हमारे दिमागों को गुलाम बनाए हुए है इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दी कब अपने पद पर आसीन होगी जिस गति से पुरानी सरकार चली थी अगर आप भी उसी गति से चलेंगे तो सब यह कहेंगे कि यह सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आप अपने पांच साल पूरे होने से पहले इस तरह की व्यवस्था कर दें कि हिन्दी और हिन्दुस्तान की अन्य भाषाये जो हमारे संविधान में लिखी गई हैं सब अपने प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हो सकें! तब आप जो यह विधेयक लाए हैं जिसके लिए मैंने आपको वधाई दी है निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध होगा। यह भी टालने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपने हिन्दुस्तान मे एक अच्छी बात की है। आपने यह फैसला किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षायें होती हैं उनमें हिन्दी और अन्य भाषाओं में परीक्षा दे सकेंगे। यह आपने एक अच्छा काम किया है। आपने एक अच्छा फैसला लिया है लेकिन इसी तरह मे तमाम अपने सेक्रेटरिएट्स में और अन्तर्राज्यीय मामलों में भी अपनी भाषाओं के माध्यम से काम कर सकें, यह दोनों हो जायें। इसलिए मैं इस विधेयक को एक पहली सीढ़ी मानता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कहीं हम पहली सीढ़ी पर खड़े न रह जायें और छत पर चढ़ सक, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। यह आप बतायेंगे तो मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूंगा। इन शब्दो के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

STATEMENT BY MINISTER REGARDING THE ESTABLISHMENT OF A RATE OF EXCHANGE BETWEEN THE INDIAN RUPEE AND THE ROUBLE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Before we adjourn for lunch, hon. Finance Minister will make a statement.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): Sir, since 1966, the exchange rate between the Rupee and the Rouble has been Rs. 8.333=1 Rouble in accordance with the gold contents of the two currencies as then determined. Due to instability of exchange rates which have characterised the international monetary scene for the last few years and the subsequent demonetisation of gold, gold contents of various currencies have become increasingly irrelevant. Soon after December 20, 1971 when, following the Smithsonian Agreement, a rate of Rs. 18.9677 to 1 Pound Sterling was announced by the Reserve Bank of India, the State Bank of the Union of Soviet Socialist Republics (GOSBANK) announced what it termed an "official exchange rate" of 1 Rouble=Rs. 8.78. Since then, the GOSBANK has been announcing changes in this rate from time to time, and it currently stands at 1 Rouble=Rs. 11.76. This rate is, however, applicable only to non-commercial transactions.

In June, 1974, the Soviet authorities raised the question of establishing a more realistic exchange rate between the two currencies for repayment of Soviet credits and settlement of commercial transactions between India and the Soviet Union. Their contention was that the rate of Rs. 8.33=1 Rouble was resulting in losses to the Soviet Union since 1972 and that arrangements should be made to compensate them for these losses.